"विनियोग लेखाओं में अपवाद रिपोर्टिंग की अधिकतम सीमा में संशोधन"

[समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

लोक लेखा समिति
(2020-21)

उनतीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2020-21) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय-एक प्रतिवेदन

अध्याय-दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है....

अध्याय-तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....

अध्याय-चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है.....

अध्याय-पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं.....

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2020-21) की 04.02.2021 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. लोक लेखा समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

20. श्री भूपेन्द्र यादव
21. रिक्त
22. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री टी.जी. चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एम.एल.के. राजा	-	निदेशक
3.	श्रीमती अंजू कुकरेजा	-	उप सचिव

प्रतिवेदन

भाग-एक

विनियोग लेखा, बजट प्रावधानों की तुलना में सरकार के कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु संसद और लोक लेखा समिति के लिए एक साधन है। इन लेखाओं में इन विनियोगों के साथ-साथ अनुपूरक अनुदानों की तुलना में विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में स्वीकृत प्रावधान, बचत और अधिशेष व्यय, यदि कोई हो, के पुनर्विनियोजन के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट है। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन लेखाओं की रूपरेखा बनाई गई थी, उसमें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग-लेखा महानियंत्रक) द्वारा विनियोग लेखाओं के स्वरूप को सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी, ताकि इसे संक्षिप्त, सुस्पष्ट, विश्लेषणात्मक और कम विस्तृत बनाया जा सके।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुसार पिछले दशक से, सरकार के लिए बजट आवंटन में 28 गुणा वृद्धि होने के फलस्वरूप कई शीर्षों के अंतर्गत भिन्नता की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रित विनियोग लेखे (सिविल) के परिणाम में वृद्धि हुई है। इसलिए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने शीर्ष-वार संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) में भिन्नता हेतु कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए वित्तीय सीमाओं के ऊर्ध्वमुखी संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव लेखाओं के प्रस्तुतीकरण मे सुधार हेतु प्रयास के रूप में आरंभ किया गया था, ताकि रिपोर्टिंग का पर्याप्त महत्व रहे। यह महसूस किया गया था कि रिपोर्टिंग की न्यून सीमा होने का मतलब है कि लेखाओं में कारणों की संख्या बहुत अधिक होगी और बड़ी संख्या में सूचित भिन्नता के कारण तात्विक भिन्नता नष्ट हो सकती है।

3. समिति को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित परिवर्तन किसी भी प्रकार से विनियोग लेखापरीक्षा के क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं, जिनकी संसद को लगातार सूचना दी जाएगी, और ये परिवर्तन किसी भी तरह से विनियोग लेखाओं के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करते हैं।

8. शीर्ष-वार विनियोग लेखे (सिविल) में भिन्नता के कारणों को रिकॉर्ड करने वित्तीय सीमाओं की प्रस्तावित समीक्षा का अनुमोदन करते हुए समिति ने वित्त (व्यय विभाग) से एक प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करने का आग्रह किया, ताकि मंत्रालय/विभाग द्वारा संशोधित वित्तीय सीमाओं का उपयुक्त कार्यान्वयन स किया जा सके। इस संबंध में, संशोधित वित्तीय सीमाओं का पालन करने के लि मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने की बात कही समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है कि निगरानी के लिए व्यय वि एक सांस्थानिक तंत्र का सृजन किया जाए और आशा करती हैं कि मंत्रालय विभाग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा इन दिश का सख्ती से पालन किया जाए और उक्त संशोधन के अनुपालन में किसी वि सख्ती से निपटा जाए, आवश्यक कदम उठाएगा।

9. यह देखते हुए कि रेल, रक्षा और डाक सेवाओं से संबंधित विनियोग 2018-19 और उसके बाद के वर्षों के विनियोग लेखे (सिविल) में वित्तीय सी संशोधन के उक्त प्रस्ताव के अनुरूप नहीं हैं, समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन लोक सभा) के पैरा - 5 में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से उपर्युक्त मंत्रालयों क संशोधनों की जानकारी देने की सिफारिश की थी ताकि सभी विनियोग लेख तैयार और प्रस्तुत करने में समानता बनाए रखने के लिए नियंत्रक-महालेखापरी सहमति प्राप्त करने के पश्चात, मंत्रालय कम-से-कम वर्ष 2019-20 और उ अपने संबंधित विनियोग लेखे में उन संशोधनों को सम्मिलित करने के लिए कदम उठा सके।

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

टिप्पणी/सिफारिश:

पैरा 1:- "विनियोग लेखा बजटीय प्रावधानों की तुलना में सरकारी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संसद और लोक लेखा समिति को सहायता प्रदान करती है। इन लेखाओं में इन विनियोगों के साथ-साथ अनुपूरक अनुदानों की तुलना में विनियोग की एकक से दूसरी इकाई में स्वीकृत प्रावधान, बचत और अधिशेष व्यय, यदि कोई हो, के पुनर्विनियोजन के संबंध में सूचना शामिल है। इन लेखाओं की रूपरेखा जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, उसमें विनियोग लेखाओं के स्वरूप को सरल बनाने की आवश्यकता वित्त मंत्रालय (व्ययविभाग-लेखा महानियंत्रक) द्वारा महसूस की गई थी, जो संक्षिप्त, सुस्पष्ट, विश्लेषणात्मक और कम विस्तृत हो।"

(लोक लेखा समिति (17वीं लोक सभा)
की पहली रिपोर्ट का पैरा सं.1)

<u>की गई कार्रवाई</u>

लोक लेखा समिति की टिप्पणियां। कोई टिप्पणी नहीं।

2. इस की गई कार्रवाई टिप्पणी की विधीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.11.2020 के पत्र सं. समन्वय/ पैरा सेलेक्शन एवं एमआईपी/2020-21/355 द्वारा की गई है।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फा.सं. 12(9)/ई.कोऑर्ड/2017
दिनांक 14 जनवरी, 2021

<u>की गई कार्रवाई</u>

लोक लेखा समिति की टिप्पणियां। कोई टिप्पणी नहीं।

2. इस की गई कार्रवाई टिप्पणी की विधीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.11.2020 के पत्र सं. समन्वय/ पैरा सेलेक्शन एवं एमआईपी/2020-21/355 द्वारा की गई है।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फा.सं. 12(9)/ई.कोऑर्ड/2017
दिनांक 14 जनवरी, 2021

<u>की गई कार्रवाई</u>

लोक लेखा समिति की टिप्पणियां। कोई टिप्पणी नहीं।

2. इस की गई कार्रवाई टिप्पणी की विधीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.11.2020 के पत्र सं. समन्वय/ पैरा सेलेक्शन एवं एमआईपी/2020-21/355 द्वारा की गई है।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फा.सं. 12(9)/ई.कोऑर्ड/2017
दिनांक 14 जनवरी, 2021

<u>की गई कार्रवाई</u>

वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार विनियोग लेखाओं (सिविल) को संशोधित वित्तीय सीमाओं के आधार पर तैयार करके अंतिम रूप दिया जा चुका है। संशोधित वित्तीय सीमाओं के पालन हेतु आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं (प्रति संलग्न)।

2. इस की गई कार्रवाई टिप्पणी की विधीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उनके दिनांक 23.11.2020 के पत्र सं. समन्वय/ पैरा सेलेक्शन एवं एमआईपी/2020-21/355 द्वारा की गई है।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, फा.सं. 12(9)/ई.कोऑर्ड/2017
दिनांक 14 जनवरी, 2021